सील्ड/रजिस्टर्ड

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-550/2023/08/22-2-2023-17(153)/2013
लखनऊ: दिनांक: 24 अगस्त, 2023

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कारागार, गोरखपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अमरमणि त्रिपाठी (बन्दी संख्या-31/12) पुत्र श्री कृष्णनरायण त्रिपाठी, निवासी-19ए हुमायूपुर दक्षिणी, थाना-कोतवाली, जनपद-गोरखपुर, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-411/2005 में भा0द0वि0 की धारा-302, 120बी, 342, 506 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, विशेष न्यायाधीश/सत्र न्यायाधीश, देहरादून के आदेश दिनांक 24.10.2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड के आदेश दिनांक-16-07-2012 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 04-01-2013 व 31-07-2013 द्वारा निर्णीत करते हुए उक्त सजा को यथावत रखा गया, रिट पिटीशन (क्रि0) नं0 (एस)-135/2022 राधेश्याम भगवान दास शाह उर्फ लाला वकील बनाम गुजरात राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश/प्रतिपादित सिद्धांत दिनांक 13-05-2022 तथा मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित रिट पिटीशन (क्रि0) नं0-445/2022 अमरमणि त्रिपाठी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10-02-2023 व अवमानना वाद सं0-1079/2023 अमरमणि त्रिपाठी बनाम संजय प्रसाद व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.08.2023 के अनुक्रम में, बन्दी की आयु 66 वर्ष होने, दिनांक 22.11.2022 तक 17 वर्ष 09 माह 04 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 01 माह 19 दिन की सपरिहार भोगी गयी सजा व अच्छे जेल आचरण के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बन्दी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, गोरखपुर के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

मदन मोहन
विशेष सचिव।

संख्या-550/2023/08(1)/22-2-2023 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, गोरखपुर।
3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, गोरखपुर।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
7- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में योजित अवमानना वाद (सिविल) संख्या-1079/2023 अमरमणि त्रिपाठी बनाम संजय प्रसाद व अन्य अन्तर्गत रिट याचिका (क्रि0) संख्या-445/2022 अमरमणि त्रिपाठी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.08.2023 के सन्दर्भ में।
8- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in